राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

प.12(02)राज/वाद/2019 जयपुर, दिनांक : 04-11-22

परिपत्र

यह देखने में आया है कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों के द्वारा सिविल अपीलों/विशेष अनुमति याचिकाओं/अन्य याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध रिव्यू याचिकाऐं प्रस्तुत करने का निर्णय अपने स्तर से लेकर (Pre Appeal monitoring committee में निर्णय कराये बिना ही) अतिरिक्त महाधिवक्ता/पैनल लॉयर/एओआर की नियुक्ति हेतु पत्रावलियां विधि विभाग को प्रेषित की जा रही है, इसलिए राज्य वादकरण नीति, 2018 की पालना सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्रम में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. राज्य वादकरण नीति, 2018 के प्रावधान 10.2 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एसएलपी/नो एसएलपी का निर्णय Pre Appeal monitoring committee में लिया जाता है, उसी अनुरूप सिविल अपीलों/विशेष अनुमति याचिकाओं/अन्य याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध रिव्यू याचिकाऐं प्रस्तुत करने का निर्णय भी उक्त कमेटी के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. उक्त स्थायी समिति द्वारा रिव्यू याचिकाऐं प्रस्तुत करने की अनुशंषा किये जाने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 तथा आदेश 47 के प्रावधानों के तहत रिव्यू याचिका दायर करने के उपलब्ध आधारों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णयों पर विचार किया जावेगा।
3. विधि विभाग के स्थायी आदेश दिनांक 09.03.2019 के बिन्दु संख्या 38 की टिप्पणी के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने के निर्णय हेतु पत्रावलियां विधि विभाग को सीधे नहीं भेजी जायेगी। स्थाई समिति के सदस्यों के मध्य मतभिन्नता होने की स्थिति में ही पत्रावली विधि विभाग को अंतिम निर्णय के लिए भेजी जायेगी।
4. स्थायी समिति द्वारा प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता/पैनल लॉयर/एओआर के द्वारा रिव्यू दायर नहीं करने की (नो–रिव्यू) की विधिक राय पर भी विचार किया जावेगा।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील/एसएलपी/याचिकाओं को अत्यधिक विलम्ब के आधार पर खारिज की गई है तो उक्त विलम्ब का तथ्य भी स्थायी समिति (Pre Appeal monitoring committee) के समक्ष विशेष रूप से रखा जावे।
6. स्थायी समिति के द्वारा रिव्यू याचिका दायर करने की अनुशंषा किये जाने की स्थिति में अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पत्रावली विधि विभाग में प्रेषित करने की आवश्कता नहीं है सीधे ही प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रकरण में पूर्व में नियुक्त अति0 महाधिवक्ता/एओआर/पैनल लॉयर से सम्पर्क कर रिव्यू याचिका दायर करने की आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।

04/11/22
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

पत्रावली संख्या प.12(02)राज/वाद/2019 **जयपुर, दिनांक :** 04/11/22

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव विधि, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अति0 महाधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता/एओआर, राजस्थान सरकार उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।

04/11/22

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि